मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 6673 / 22 / वि–7 / एन.आर.ई.जी. / 2007 भोपाल, दि.20 / 04 / 2007

प्रति,

1. **जिला कार्यक्रम समन्वयक,**
एवं कलेक्टर
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश

2. **जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं**
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश

3. **कार्यक्रम अधिकारी (जनपद पंचायत)**
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश
जिला – श्योपुर, छतरपुर, मंडला, शहडोल, बालाघाट, शिवपुरी, बैतूल, खरगोन, सिवनी, डिण्डोरी, टीकमगढ़, खण्डवा, धार, झाबुआ, बड़वानी, सतना, सीधी, उमरिया, गुना अशोकनगर, अनूपपुर, बुरहानपुर, हरदा, छिन्दवाड़ा, देवास, दतिया, रीवा, पन्ना, दमोह, राजगढ़ एवं कटनी (म.प्र.)

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश के अंतर्गत शामिल जिलों में ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना की आयोजना व क्रियान्वयन के संबंध में।

1. पृष्ठभूमि :

सर्वविदित है कि वृक्षों का अस्तित्व पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन बनाये रखने के लिए आवश्यक है। वृक्षों और मानव की आजीविका का भी सनातन संबंध रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में यदि उद्यानिकी प्रजाति के पौधों का रोपण कर फलोद्यान विकसित जायें तो यह फलोद्यान पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन बनाने में सहायक होने के साथ साथ ग्रामीणों के लिए आय सृजन का स्थायी स्त्रोत भी उपलब्ध करा सकेंगे।

उक्त के अनुक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश के अंतर्गत शामिल जिलों में ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना की आयोजना तैयार कर क्रियान्वयन किया जाना है। ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना के अंतर्गत पात्र एवं चयनित हितग्राहियों के स्वामित्व वाली निजी भूमि पर एकल गतिविधि के रूप में अथवा सामूहिक गतिविधि के रूप में उद्यानिकी प्रजाति के फलोद्यान विकसित करने हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर इसका क्रियान्वयन किया जायेगा। तत्संबंध में यह आदेश जारी किये जा रहे हैं।

2. कार्य क्षेत्र :

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश के अंतर्गत शामिल सभी जिलों के सभी ग्राम प्रस्तावित ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना के कार्य क्षेत्र होंगे।

3. पात्र हितग्राही :

3.1 भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 6 मार्च 07 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट की अनुसूची 1 की कंडिका 1(4) में संशोधन करते हुए निम्नानुसार वर्ग के हितग्राहियों के स्वामित्व वाली भूमि में उद्यानिकी प्रजाति के फलोद्यान विकसित करने का प्रावधान किया गया है:

1. अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के परिवार
2. गरीबी की रेखा के नीचे के परिवार
3. भूमि सुधार (Land reform) के हितग्राही
4. इंदिरा आवास योजना के हितग्राही

3.2 अतः ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना के क्रियान्वयन हेतु केवल उपरोक्त वर्गों में से कार्य क्षेत्र के ऐसे हितग्राही परिवार पात्र होंगे, जो निम्न मानदण्ड की पूर्ति करते हैं:–

''जिनके स्वामित्व वाली भूमि (कृषि भूमि एवं उत्पादन योग्य पड़त भूमि) की जोत ग्राम में एक ही जगह पर अथवा अलग–अलग जगहों पर परिवार के मुखिया के नाम पर या संयुक्त खाते के रूप में कम से कम 2 हेक्टेयर हो। यदि किसी ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र में 2 हेक्टेयर अथवा इससे अधिक जोत की भूमि के स्वामित्व वाले हितग्राही परिवार उपलब्ध नहीं हो तो 2 हेक्टेयर से कम एवं न्यूनतम 1 हेक्टेयर तक की सीमा तक की जोत की भूमि के स्वामित्व वाले हितग्राही परिवारों पात्र हो सकेंगे।''

4. आयोजना व क्रियान्वयन

4.1 सहयोग दलों की नियुक्ति :

उद्यानिकी प्रजाति के सफल वृक्षारोपण के लिए विभिन्न तकनीकी पहलुओं जैसे प्रजाति का चयन, क्षेत्र में सिंचाई सुविधा, भूमि की गुणवत्ता इत्यादि की उपयुक्तता का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। अतः नंदन फलोद्यान उपयोजना

की आयोजना व क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न घटकों के परीक्षण और ग्राम पंचायतों व हितग्राहियों को तकनीकी मार्गदर्शन व सहयोग प्रदान करने के लिए प्रत्येक 5 से 10 ग्राम पंचायतों के समूह हेतु एक – एक सहयोग दल की नियुक्ति की जायेगी। प्रत्येक सहयोग दल में उद्यानिकी विभाग अथवां कृषि विभाग के एक सक्षम तकनीकी अधिकारी (जैसे ग्रामीण उद्यानिकी विस्तार अधिकारी, कृषि विस्तार अधिकारी, उद्यान अधीक्षक इत्यादि), एक उपयंत्री तथा संबंधित क्षेत्र के पटवारी को शामिल किया जायेगा। उद्यानिकी विभाग अथवां कृषि विभाग के तकनीकी अधिकारी सहयोग दल के ''दल प्रमुख'' होंगे। जिला कलेक्टर द्वारा ग्राम पंचायतवार ऐसे सहयोग दलों का गठन कर पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे, जिसकी प्रतिलिपि सभी ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराई जायेगी।

4.2 पात्र हितग्राहियों से प्रस्ताव प्राप्त करना :

ग्राम पंचायत रोजगार की मांग हेतु आवेदन प्राप्त करते समय पैरा – 3.2 में उल्लेखित अनुसार पात्र हितग्राहियों को ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना के प्रावधानों (विशेषकर पैरा – 4.4.2 अनुसार वृक्षारोपण पद्धति, पैरा – 4.4.3 अनुसार ली जाने वाली प्रजातियों एवं पैरा – 4.5.1 अनुसार अनुमानित लागत : जिसे योजना से वित्त पोषित किया जायेगा) के संबंध में अवगत करायगी। तदोपरांत ग्राम पंचायत इन पात्र हितग्राहियों में से ऐसे हितग्राही जो उनकी निजी भूमि पर उद्यानिकी प्रजाति का वृक्षारोपण करने के इच्छुक हैं, उनसे रोजगार की मांग के आवेदन के साथ–साथ ''नंदन फलोद्यान'' हेतु **अनुलग्नक – 1** में दर्शाये गये प्रपत्र में प्रस्ताव भी प्राप्त करेगी। इस प्रस्ताव में हितग्राही द्वारा वृक्षारोपण के प्रस्तावित स्थल का विवरण/क्षेत्रफल, वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित प्रजातियां, स्वयं के पास उपलब्ध सिंचाई सुविधा आदि का विवरण अंकित किया जायेगा।

4.3 हितग्राहियों का चयन व गतिविधि का स्वरूप निर्धारण :

4.3.1 ग्राम पंचायत द्वारा ''नंदन फलोद्यान'' हेतु हितग्राहीवार प्रस्तावों का विवरण ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जायेगा। ग्राम सभा द्वारा ऐसे हितग्राही जिनके पास प्रस्तावित वृक्षारोपण की सिंचाई हेतु पर्याप्त व्यवस्था है, को प्रथम प्राथमिकता क्रम में चयनित किया जायेगा। ऐसे हितग्राही जिनके पास प्रस्तावित वृक्षारोपण की

सिंचाई हेतु पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, को द्वितीय प्राथमिकता क्रम में इस शर्त के साथ चयनित किया जा सकेगा कि उनके लिए ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना का कार्य लिये जाने से पूर्व उन्हें कपिल धारा उपयोजना के प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध कराई जायेगी।

4.3.2 ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना हेतु हितग्राहियों का चयन होने के उपरांत ग्राम पंचायत द्वारा निम्नानुसार गतिविधि का स्वरूप निर्धारण किया जायेगाः–

- ऐसे चयनित हितग्राही परिवार जो उनकी निजी भूमि पर प्रस्तावित फलोद्यान विकास का कार्य पृथक पृथक लेना चाहते हैं, उनके लिए ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना एकल गतिविधि के स्वरूप में ली जा सकेगी।

- ऐसे चयनित हितग्राही परिवार जिनकी निजी भूमि एक साथ जुड़ी हुई हो अर्थात साथ साथ लगी हुई हो, उनकी सम्मिलित निजी भूमि पर प्रस्तावित फलोद्यान विकास का कार्य एक बड़े भू–भाग पर एक साथ लिया जा सकता है। ऐसे हितग्राहियों के लिए ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना सामूहिक गतिविधि के स्वरूप में ली जा सकेगी। ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना के अंतर्गत प्रस्तावित फलोद्यान विकास सामूहिक गतिविधि के रूप में लेने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा संबंधित चयनित हितग्राहियों का ''उपयोगकर्ता दल'' भी अनिवार्यतः गठित किया जायेगा। ऐसे उपयोगकर्ता दल के सदस्यों की संख्या 5 या उससे अधिक भी हो सकती है। परन्तु दल गठित करने के लिए न्यूनतम 5 हितग्राही परिवार आवश्यक होंगे।

- ग्राम पंचायत द्वारा ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना हेतु ग्राम सभा द्वारा अनुशंसित और चयनित हितग्राहियों की एक सूची प्राथमिकता क्रम में पृथक से तैयार कर अपने पास रखेगी। इस सूची में एकल गतिविधि के स्वरूप में फलोद्यान विकास का कार्य लेने वाले हितग्राहियों तथा सामूहिक गतिविधि के स्वरूप में फलोद्यान विकास का कार्य लेने वाले हितग्राहियों व इनके दल का भी स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

4.4 आयोजना के विभिन्न घटकों का निर्धारण व आकलनं :

ग्राम पंचायत ''नंदन फलोद्यान'' हेतु चयनित हितग्राहियों से प्राप्त प्रस्तावों को हितग्राहीवार एवं हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दलवार उनकी पंचायत के लिए नियुक्त सहयोग दल के दल प्रमुख को प्रेषित करेगी। सहयोग दल द्वारा क्षेत्र का भ्रमण कर प्रस्तावों का परीक्षण कर ''नंदन फलोद्यान'' की आयोजना के विभिन्न घटकों का निम्नानुसार निर्धारण किया जायेगा :–

4.4.1 भूमि/स्थल का निर्धारण :

''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना के अंतर्गत प्रस्तावित फलोद्यान विकास हेतु इस तथ्य का ध्यान रखा जाना है कि अच्छी उपजाउ कृषि भूमि को वृक्षारोपण हेतु चयनित नहीं किया जाये। हितग्राही परिवार की निजी भूमि के ऐसे भू–भाग का चयन ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना हेतु किया जाना है, जो कृषि के लिए उपयोगी नहीं है अथवा पड़त भूमि है। अतः तदनुसार सहयोग दल हितग्राही परिवारों की सहमति से ''नंदन फलोद्यान'' हेतु हितग्राहीवार एवं हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दलवार प्रस्तावित भूमि/स्थल तथा इसके क्षेत्रफल (जिसमें वृक्षारोपण किया जायेगा) का निर्धारण करेंगे। इस निर्धारण के साथ साथ सहयोग दल में शामिल पटवारी भूमि के स्वामित्व, भूमि की उपलब्धता तथा वर्तमान भूमि उपयोग का सत्यापन भी करेंगे।

4.4.2 वृक्षारोपण पद्धति का निर्धारण :

''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना हेतु निम्न दो प्रकार की वृक्षारोपण पद्धति अपनाई जा सकती है :–

1. चयनित भूमि के संपूर्ण भू–भाग पर केवल पौधों (उद्यानिकी प्रजाति के) का निर्धारित अंतराल पर रोपण जिसे ''खण्ड उद्यानिकी वृक्षारोपण'' (Block Horticuture Plantation) कहा जायेगा।
2. चयनित भूमि के भू–भाग पर अंतरवर्तीय कृषि फसलों के साथ साथ पौधों (उद्यानिकी प्रजाति के) का भी निर्धारित अंतराल पर रोपण जिसे ''कृषि – उद्यानिकी वृक्षारोपण'' (Agro-Horticuture Plantation) कहा जायेगा।

अतः उक्त के अनुक्रम में सहयोग दल, हितग्राही एवं हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दलों के सदस्यों की सहमति से ''नंदन फलोद्यान'' हेतु प्रस्तावित वृक्षारोपण पद्धति

का निर्धारण करेगा कि वे ''खण्ड उद्यानिकी वृक्षारोपण'' करना चाहते हैं अथवा ''कृषि – उद्यानिकी वृक्षारोपण'' करना चाहते हैं। ''कृषि – उद्यानिकी वृक्षारोपण'' लिये जाने पर **अनुलग्नक – 2** में दर्शाये गये अनुसार अंतरवर्तीय फसलें ली जा सकती हैं। इन अंतरवर्तीय फसलों को लगाने का व्यय हितग्राही द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। सहयोग दल द्वारा वृक्षारोपण पद्धति के निर्धारण के समय हितग्राहियों को अंतरवर्तीय फसलों के संबंध में समझाईश/मार्गदर्शन दिया जाये।

4.4.3 प्रजातियों का निर्धारण :

यद्यपि हितग्राही परिवार द्वारा ग्राम पंचायत को ''नंदन फलोद्यान'' हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्ताव में फलोद्यान विकास हेतु प्रस्तावित प्रजातियों का उल्लेख किया जायेगा। परन्तु सहयोग दल में शामिल उद्यानिकी विभाग/कृषि विभाग के तकनीकी अधिकारी म.प्र. के विभिन्न Agro Climatic Zone (**अनुलग्नक –3**) में अनुशंसित प्रजातियों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय क्षेत्र (जहां वृक्षारोपण किया जाना है) के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त प्रजाति का निर्धारण संबंधित हितग्राही या हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दलों के मुखिया से विचार विमर्श कर करेंगे।

4.4.4 फलोद्यान विकास हेतु प्रजातिवार लगाये जाने वाले पौधों की संख्या का आकलन व निर्धारण :

फलोद्यान विकास हेतु लगाई जाने वाली प्रजातियों का निर्धारण होने के पश्चात इन प्रजातियों के रोपण होने पर पौधों से पौधों की दूरी तथा कतार से कतार की दूरी को ध्यान में रखते हुए पौध–रोपण हेतु प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर सहयोग दल में शामिल उद्यानिकी विभाग/कृषि विभाग के तकनीकी अधिकारी द्वारा प्रजातिवार लगाये जा सकने वाले पौधों की संख्या का अनुमानित आकलन कर हितग्राही को अवगत कराया जायेगा। तदोपरांत पैरा – 4.4.2 अनुसार निर्धारित वृक्षारोपण पद्धति को ध्यान में रखते हुए हितग्राही एवं हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दलों के सदस्यों द्वारा प्रजातिवार लगाये जा सकने वाले पौधों की संख्या का निर्धारण करेंगे व यह संख्या सहयोग दल को अवगत करोयेंगे।

4.4.5 हितग्राही के पास उपलब्ध सिंचाई क्षमता का आकलन :

सहयोग दल हितग्राही के पास उपलब्ध सिंचाई स्त्रोतों का विश्लेषण इस आधार पर करेंगे कि ''नंदन फलोद्यान'' लगाये जाने पर क्या इस स्त्रोत से लगाये गये पौधों के लिए पर्याप्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी अथवा नहीं। यदि हितग्राही एवं हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दल के सदस्यों के पास सिंचाई स्त्रोत उपलब्ध नहीं हैं तो तदाशय की जानकारी सहयोग दल अपने संज्ञान में लेंगे, ताकि ग्राम पंचायत को प्रेषित की जाने वाली अनुशंसा में इसका उल्लेख किया जा सके और इस अनुशंसा के आधार पर ग्राम पंचायत संबंधित हितग्राही/हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दल को कपिल धारा उपयोजना के प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई स्त्रोत उपलब्ध कराने के उपरांत इन हितग्राही/हितग्रही समूह के लिए ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना का क्रियान्वयन कर सके।

4.5 प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना :

4.5.1 उपरोक्तानुसार पैरा – 4.4.1 से 4.4.5 में उल्लेखित परीक्षण व विभिन्न घटकों के निर्धारण के उपरांत सहयोग दल हितग्राहीवार अथवा हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दलवार **अनुलग्नक – 4** में दर्शाये गये प्रपत्र में अपनी अनुशंसा तैयार करेंगे। इस अनुशंसा के आधार पर सहयोग दल में शामिल उपयंत्री द्वारा इन निर्देशों के साथ संलग्न **अनुलग्नक – 5** में दर्शाये गये अनुसार विभिन्न फलदार प्रजाति के फलोद्यान विकास के मॉडल प्राक्कलनों के दृष्टिगत ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना हेतु हितग्राहीवार अथवा हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दलवार प्राक्कलन तैयार किया जायेगा। ये मॉडल प्राक्कलन पूर्णतः सांकेतिक एवं मार्गदर्शी हैं। स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर इन मॉडल प्राक्कलन में दर्शाये गये व्यय अनुमानों में परिवर्तन कर ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना हेतु प्राक्कलन तैयार किये जा सकते हैं। सहयोग दल की अनुशंसा व उपयंत्री द्वारा तैयार किया गये प्राक्कलन को एकजाई कर प्रत्येक हितग्राहीवार अथवा हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दलवार ''नंदन फलोद्यान'' हेतु प्रोजेक्ट रिपोर्ट पृथक पृथक तैयार की जायेगी। इस प्रकार तैयार की गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट में चयनित प्रजातियों का विवरण, चयनित भूमि व क्षेत्रफल का विवरण, वृक्षारोपण पद्धति, सिंचाई तथा फलदार वृक्षारोपण करने हेतु विभिन्न अवयवों/मदों पर आने वाले व्यय की लागत का विवरण, पौधों की सुरक्षा

हेतु फेंसिंग या प्रति पौधे के लिए बागड़ एवं 5 वर्षों तक पौधों की निदाई/गुड़ाई/सिंचाई/खाद एवं सुरक्षा/मृत पौधों को बदलने का विवरण शामिल होगा।

4.5.2 ऐसे हितग्राही अथवा हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दल जिनके पास ''नंदन फलोद्यान'' हेतु सिंचाई स्त्रोत उपलब्ध नहीं हैं, उनके प्रकरणों में सहयोग दल अपनी अनुशंसा में तदाशय का स्पष्ट उल्लेख कर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके आधार पर ग्राम पंचायत पैरा – 4.3.1 और पैरा – 4.4.5 के अनुक्रम में संबंधित हितग्राहियों के लिए ''कपिलधारा उपयोजना'' के प्रावधानों (इस विभाग के आदेश क्र. 6077/22/वि–9/आरजीएम/07 भोपाल दिनांक 7.4.2007) के अनुरूप सिंचाई स्त्रोत उपलब्ध कराने का कार्य इन हितग्राहियों की ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल कर करायेगी।

4.5.3 सुरक्षा हेतु फेंसिंग का प्रावधान व प्राक्कलन में इसका समावेश :

''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना के अंतर्गत किये जाने वाले वृक्षारोपण की सुरक्षा के लिए फेसिंग के निम्न दो मॉडल उपयोग में लाये जा सकते हैं :–

- ऐसा वृक्षारोपण जहां एक ही स्थल पर रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या 200 से कम हो उन स्थलों पर प्रत्येक पौधे की स्थानीय तौर पर उपलब्ध कटीली झाड़ियों या बांस के ट्री गार्ड लगाकर व्यक्तिगत रूप से फेसिंग की जा सकती है अथवा वृक्षारोपण स्थल के चारों ओर सीपीटी खोदकर फेसिंग की जा सकती है। इस प्रकार की फेंसिंग के लिए व्यय अनुमान का उल्लेख **अनुलग्नक – 5** में दर्शाये गये मॉडल प्राक्कलन में किया गया है।
- ऐसा वृक्षारोपण जहां एक ही स्थल पर रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या 200 से अधिक हो व रोपण का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से अधिक हो उन स्थलों पर Barbed Wire की फेंसिंग की जा सकती है। Barbed Wire फेंसिंग के व्यय अनुमान एवं उसके Parameters एवं Specificaation का उल्लेख पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 2402/22/वि–7/ग्रा. रो./2006 दिनांक 22.2.2006 में किया गया है।

अतः ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना हेतु हितग्राहीवार/हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दलवार प्राक्कलन तैयार करते समय इसमें उपरोक्तानुसार फेंसिंग के प्रावधानों को ध्यान में रखकर फेंसिंग की लागत का यथोचित समावेश किया जायेगा।

4.6 प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अनुमोदन व स्वीकृतियां :

4.6.1 उपरोक्तानुसार सहयोग दल द्वारा ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना हेतु हितग्राहीवार अथवा हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दलवार तैयार की गई प्रोजेक्ट रिपोर्ट ग्राम पंचायत को प्रेषित की जायेगी। ग्राम पंचायत अपनी बैठक में ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना की ऐसी सभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का अनुमोदन करेगी। तत्पश्चात् इसका अनुमोदन जनपद एवं जिला पंचायत से कराया जावेगा। त्रि–स्तरीय पंचायत से अनुमोदित ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट को ही ''शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट'' में शामिल किया जावेगा।

4.6.2 ऐसे हितग्राही अथवा हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दल जिनके पास ''नंदन फलोद्यान'' हेतु सिंचाई स्त्रोत उपलब्ध नहीं हैं, उनके प्रकरणों में ''नंदन फलोद्यान'' की प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ साथ ''कपिल धारा उपयोजना'' के प्रावधानों के अनुरूप सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अनुमोदित व स्वीकृत कार्य भी ''शेल्फ आफ प्रोजेक्ट'' में शामिल किया जायेगा।

4.6.3 ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना के कार्यों की प्रशासकीय व तकनीकी स्वीकृति राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश के तहत समय समय पर जारी निर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप जारी की जायेगी।

5. क्रियान्वयन व गुणवत्ता :–

5.1 ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना के स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन का प्राथमिकता क्रम ग्राम पंचायत निर्धारित कर सकेगी तथा तत्संबंध में हितग्राहियों/हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दल के सदस्यों के नाम व इनके कार्य का संक्षिप्त विवरण (क्षेत्रफल, ली गई प्रजातियां व इनकी संख्या तथा लागत) अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेगी।

5.2 क्रियान्वयन एजेंसी :

''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना के उपरोक्तानुसार अनुमोदित व प्रशासकीय तथा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कार्यों का क्रियान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा सहयोग दल द्वारा हितग्राहियों/हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दल हेतु अनुशंसित स्थल पर किया जायेगा। कार्यों का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद, पंचायत

एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्र 3136/22/वि–7/एमपीआरईजीएस /2007 दिनांक 20.2.2007 के अनुसार स्वसहायता समूहों के माध्यम से भी ग्राम पंचायत के पर्यवेक्षण में किया जा सकता है। परन्तु ऐसे स्वसहायता समूह प्रथम ग्रेड उत्तीर्ण होना चाहिए। ग्राम पंचायत व सहयोग दल के दल प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य का क्रियान्वयन निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप पूर्ण किया जाये और तकनीकी रूप से गुणवत्तापूर्ण हो। कार्य की गुणवत्ता के संदर्भ में किसी भी स्थिति में कोई समझौता न किया जाये। अधूरे कार्य को किसी भी स्थिति में पूर्ण मानकर समाप्त न किया जाये।

5.3 वृक्षारोपण हेतु पौध की व्यवस्था :

''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना हेतु फलोद्यान विकास के लिए श्रेष्ठ एवं उत्तम किस्म की पौध उपलब्ध कराने का दायित्व ग्राम पंचायत का होगा। इस हेतु ग्राम पंचायत शासकीय विभाग अथवा शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था/उपक्रम से इन विभाग/संस्थाओं द्वारा निर्धारित दर पर पौध का क्रय कर सकेंगी। इन शासकीय विभाग अथवा शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था/उपक्रम से पौध की व्यवस्था नहीं हो पाने पर ग्राम पंचायतें उद्यानिकी विभाग द्वारा निर्धारित दर पर उनके द्वारा निर्धारित निजी संस्थाओं से पौध का क्रय कर सकेंगी, परन्तु इस प्रकार क्रय की गई पौध की गुणवत्ता श्रेष्ठ एवं उत्तम होना चाहिए। ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना हेतु रोपित किए जाने वाले पौधों का प्रमाणीकरण सहयोग दल के दल प्रमुख द्वारा किया जायेगा।

उक्त के अनुक्रम में ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना हेतु रोपित किये जाने वाले पौधों की आवश्यकता का आकलन करना अत्यन्त आवश्यक है। यह आकलन ग्राम पंचायत द्वारा ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना हेतु स्वीकृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर प्रजातिवार किया जायेगा। चूंकि वृक्षारोपण के उपरांत कुछ पौधे जीवित नहीं रह पाते हैं, अतः 10% से 20% अतिरिक्त पौधों का प्रबंध रखा जाना उचित होगा।

5.4 रोपण हेतु आवश्यक तैयारियां व पौध रोपण :

5.4.1. भूमि की तैयारी :

सर्वप्रथम चयनित भूमि की साफ सफाई तथा प्राकृतिक रूप से उगे हुए पौधों के ठूंठों की कटाई तथा झाड़ियों इत्यादि की साफ सफाई का कार्य किया जाये। यह

कार्य सामान्यतः माह फरवरी के अंत तक पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। तत्पश्चात चयनित प्रजाति के अनुसार निश्चित अंतराल पर (जैसा कि **अनुलग्नक – 5** में उल्लेखित किया गया है) निश्चित आकार के गड्ढे खोदे जायें। गड्ढों की माप भूमि प्रकार एवं प्रजाति के अनुसार 45X45, 60X60, 100X100, सेमी. हो सकती है। इन गड्ढों की कतारें तथा दिशा स्थानीय स्थलाकृति के आधार पर निश्चित करना चाहिए। गड्ढों की खुदाई का काम सामान्यतः मार्च माह के अंत तक पूर्ण कर लिया जाना चाहिए जिससे गडढे के अन्दर एवं निकाली गयी मिट्टी में पाये जाने वाले हानिकारक जीव नष्ट हो जायें। मई माह में प्रारंभ कर इसके अन्त तक इन गड्ढों की वापस भराई का काम पूर्ण हो जाना चाहिये। गड्ढे भरने के लिये गडढे से निकाली गई मिट्टी, सड़ी गोबर की खाद, रेत में क्रमशः 2: 1: 1 या 1: 1: 1 का अनुपात रखा जाना चाहिये। यदि क्षेत्र में अच्छी किस्म की मिट्टी उपलब्ध नहीं है तो बाहरी क्षेत्र से दोमट मिट्टी लाकर गोबर की खाद व रेत मिलाकर गड्ढे में भरी जाये। भूमिगत कीटों, दीमक एवं अन्य हानिकारक जीवों के नियंत्रण हेतु थीमेट/फोरेट दवाओं का उपयोग लाभदायक सिद्ध होता है।

5.4.2 पौधरोपण :

सफल फलोद्यान विकास हेतु यह आवश्यक है कि पौधरोपण का कार्य वर्षा ऋतु आरंभ होते ही पहली अच्छी बारिश के तत्काल बाद आरंभ कर दिया जाये। पौधरोपण का कार्य सामान्यतः 15 सितम्बर तक पूर्ण कर लिया जाना चाहिऐ। पौधेरोपण के दौरान निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिये :–

- पौधरोपण के समय पौधे स्वस्थ होने चाहिए। रोपित किये जाने वाले पौधें के तने मजबूत होने चाहिये।
- पौधे लगाने के ठीक पहले लिपटी हुई घास या भीगे बोरों के टुकड़ों अथवा पोलीथीन को जड़ों की मिट्टी के गोले से हटा देना चाहिए। मिट्टी का गोला जड़ों को सुरक्षित रखता है।
- गड्ढों के बीच से केवल उतनी ही मिट्टी निकाले, जिससे मिट्टी के गोले के साथ पौधे की जड़ें उसमें ठीक से बैठ सके। यहां इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये कि मिट्टी के गोले के साथ पौधों को समान गहराई पर ही लगाना चाहिये। यदि पौधे को अधिक गहराई पर लगा दिया जायेगा तो तना पानी/मिट्टी के संपर्क में आकर सड़/गल सकता है और यदि कम गहराई पर रोपण किया जायेगा तो बारिश के दौरान मिट्टी के गोले की मिट्टी हट जाने के कारण पौधे की जड़े खुल (एक्सपोज) जायेंगी। और पौधे की जीवित रहने की संभावना कम हो सकती है।
- पौधे गड्ढों में सीधे लगाने चाहिए और उनकी जड़े भी स्वाभाविक दिशा में रखनी चाहिए।

- बडिंग/ग्राफ्टिंग से तैयार पौधे का यूनिट यूनियन (संगम बिन्दु) हवा चलने की दिशा में रखना चाहिए, जिससे हवा के दबाव से यूनियन टूट या खुल ना सकें। मुख्यतः संधि व बडिंग (कलिका रोपण) के स्थान पर किसी बंधन आदि की गांठ नहीं रहनी चाहिए।
- पौधे लगाने के बाद जड़ के आसपास चारों तरफ से मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। जमीन के तल से मिट्टी ऊपर उठी एवं ढालू रहें ताकि बारिश के पानी का जमाव न हो सके व पौधों की जड़ों के आसपास हवा न रहे।
- पौधे लगाने के तुरन्त बाद हल्का पानी दिया जाना चाहिए।
- शुरुआत से ही लकड़ी गाड़कर पौधों को सहारा (स्टेकिंग) देना चाहिए ताकि वे सीधे रहें।

5.5 निंदाई गुडाई व गेप फिलिंग :

घास, फूस की निंदाई नियमित रूप से की जानी चाहिये। सप्ताह में कम से कम एक बार निंदाई, गुड़ाई आवश्यक है। छोटे पौधों की जड़ों को नुकसान न पहुंचे इसका ध्यान रखा जाना चाहिये। लगाये गये पौधों में से मृत पौधों को आगामी 2 वर्षों में गेप फिलिंग (20% की सीमा तक) कर पुनः लगाया जा सकेगा।

5.6 खाद एवं कीटनाशक दवा :

पौधों को समय–समय पर गोबर खाद अथवा रासायनिक खाद उचित मात्रा में देनी चाहिये। कीड़े अथवा दीमक लगने पर उचित मात्रा में यथोचित कीटनाशक दवा का छिड़काव करना चाहिये।

5.7 ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना के कार्यों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरतने, निगरानी, मूल्यांकन, कार्य की माप, मजदूरी का भुगतान, रिकार्ड एवं लेखा संधारण तथा अन्य अभिलेखों के संधारण के संबंध में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश के तहत समय समय पर जारी निर्देशों के प्रावधान यथावत लागू होंगे। हितग्राही अथवा हितग्राहियों के समूह के सदस्य भी उसके लिए क्रियान्वित किये जा रहे कार्य की निगरानी कर सकेगा।

5.8 कार्य के पूर्ण होने पर हितग्राही अथवा हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दल के मुखिया से पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा, जिस पर सरपंच तथा सहयोग दल के दल प्रमुख कार्य की पूर्णता प्रमाणित कर हस्ताक्षर करेंगे। तदोपरांत यह पूर्णता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत अपने रिकार्ड में संधारित करेगी। कार्य स्थल पर भूमि स्वामी हितग्राही/उपयोगकर्ता दल के सदस्यों के नाम और कार्य का संक्षिप्त

विवरण (क्षेत्रफल, ली गई प्रजातियां व इनकी संख्या तथा लागत) अंकित करते हुए एक बोर्ड भी लगाया जायेगा। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत अपने भवन के सहगोचर स्थल पर ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना से लाभान्वित हितग्राहियों के नाम और कार्य का संक्षिप्त विवरण (क्षेत्रफल, ली गई प्रजातियां व इनकी संख्या तथा लागत), कार्य पर व्यय राशि तथा कार्य की पूर्णता दिनांक पेंट से अंकित करेगी।

5.9 ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना के अंतर्गत किये गये फलोद्यान विकास के कार्य का विवरण पटवारी द्वारा राजस्व रिकार्ड में भी अनिवार्यतः दर्ज किया जाये।

5.10 विभाग के आदेश क्र.3665/22/वि–7/ग्रा.यां.से./06 दिनांक 22.6.2006 में ग्रामीण विकास विभाग के तहत किये जाने वाले कार्यों का Exit Protocol तैयार किये जाने बाबत् दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुरूप ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना के कार्यों का Exit Protocol अनिवार्यतः संधारित किया जाये। विशेषकर कार्य संपादन के पूर्व व बाद का फोटोग्राफ अनिवार्यतः संधारित किया जाये।

6. प्रशिक्षण एवं तकनीकी मार्गदर्शन व सहायता :

6.1 ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना के हितग्राहियों को फलोद्यान विकास किये जाने व रख रखाव संबंधी विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस प्रशिक्षण का आयोजन कार्यक्रम अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत) द्वारा उद्यानिकी विभाग/कृषि विभाग/वन विभाग के समन्वय से किया जायेगा। हितग्राहियों को गतिविधि आरंभ होने पर आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन व सहायता सहयोग दल द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

7. मॉनिटरिंग व रिपोर्टिंग :–

7.1 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अपने क्षेत्राधीन ग्राम पंचायतों में ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना के कार्यों की गुणवत्ता व समयबद्ध क्रियान्वयन की नियमित मॉनिटरिंग करेंगे।

7.2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा भी ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना के कम से कम 20% कार्यों की गुणवत्ता तथा समयबद्ध क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग की जायेगी।

7.3 जिला क्वालिटी मॉनिटर्स द्वारा ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना के शत प्रतिशत कार्यों की मॉनिटरिंग की जायेगी।

7.4 ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना के कार्यों की प्रत्येक रिपोर्टिंग माह के अंत तक की प्रगति की एकजाई जानकारी (Cummulative Progress) जिला पंचायत द्वारा विकासखण्डवार संकलित कराकर आगामी माह की 5 तारीख तक **अनुलग्नक – 6** में अनिवार्यतः राज्य स्तर पर प्रेषित की जायेगी।

कृपया उपरोक्त निर्देशों के तारतम्य में ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना हेतु आयोजना व क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ की जाये।

आने वाले वर्षाकाल में ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में औसतन 10 हेक्टेयर में फलोद्यान वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा जाये।

हस्ता/–
(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव
एवं विकास आयुक्तम.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्र.6674/22/वि–7/एन.आर.ई.जी./2007 भोपाल, दि.20/04/2007

प्रतिलिपि :–

1. सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
2. आयुक्त उद्यानिकी, विन्ध्याचल भवन, भोपाल
3. संभागीय आयुक्त, भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, चम्बल, जबलपुर, सागर, उज्जैन एवं रीवा।
4. परियोजना अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रमीण रोजगार योजना जिला पंचायत श्योपुर, छतरपुर, मंडला, शहडोल, बालाघाट, शिवपुरी, बैतूल, खरगोन, सिवनी, डिण्डोरी, टीकमगढ़, खण्डवा, धार, झाबुआ, बड़वानी, सतना, सीधी, उमरिया, गुना अशोकनगर, अनूपपुर, बुरहानपुर, हरदा, छिन्दवाड़ा, देवास, दतिया, रीवा, पन्ना, दमोह, राजगढ़ एवं कटनी (म.प्र.)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

हस्ता/–
(प्रदीप भार्गव)
अपर मुख्य सचिव
एवं विकास आयुक्त
म.प्र. शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

अनुलग्नक – 1

''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना के अंतर्गत फलोद्यान वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव का प्रारूप

प्रति,

सरपंच,
ग्राम पंचायत .....
जनपद पंचायत .....
जिला .....

विषयः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश के अंतर्गत ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना हेतु प्रस्ताव।

मैं ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना के अंतर्गत अपनी निजी भूमि पर उद्यानिकी प्रजाति का वृक्षारोपण कर फलोद्यान विकसित करवाना चाहता हूँ। मेरी भूमि के खसरा की प्रति/भू–अभिलेख ऋण पुस्तिका भाग – 1 की प्रतिलिपि संलग्न है। अन्य आवश्यक विवरण निम्नानुसार है :–

1. हितग्राही का नाम : .....
2. पिता/पति का नाम : .....
3. ग्राम : .....
4. धारित कुल भूमि का रकबा : ..... हेक्टेयर
5. प्रस्तावित भूमि का रकबा जिस पर फलोद्यान विकसित किया जायेगा : ..... हेक्टेयर
6. खसरा नंबर : ..... जिसमें उक्त फलोद्यान विकास का कार्य प्रस्तावित है।
7. प्रस्तावित प्रजातियों का विवरण व संख्या
   .....
   .....
   .....
   .....
8. हितग्राही के पास उपलब्ध सिंचाई स्त्रोत .....

हितग्राही के हस्ताक्षर
व नाम

अनुलग्नक – 2

उद्यानिकी वृक्षारोपण के साथ ली जाने वाली अंतरवर्तीय फसलें

क्रमांक	उद्यानिकी फसलें	अन्तरवर्तीय फसलें
1	आम / कटहल / चीकू / इमली	• प्याज, लोबिया, मटर, हल्दी, फूलगोभी, गाजर, मूली, चना • गाठगोभी, पत्तागोभी, फूलगोभी, मूली, हल्दी, अदरक • लोबिया, आलू, चना • टमाटर, क्लस्टर बीन, सोयाबीन, मटर, लोबिया, पालक, मिर्च
2	अमरूद	• लोबिया, फ्रेचबीन • प्याज, भिण्डी, पत्तागोभी, फूलगोभी • अनन्नास, मटर, लोबिया, चना, फली • उर्द
3	नीबू, संतरा, मौसम्बी	• दलहनी फसलें • मटर, लोबिया, चना, फली • भिण्डी, फूलगोभी, टमाटर, मटर, पत्तागोभी • आलू
4	बैर, सीताफल	• टमाटर, मटर, हल्दी, मूली, फली, मूंग, उर्द, चना, लोबिया, फ्रेचबीन
5	आंवला	• मूंग, उड़द, चना, लोबिया, फली, मटर

अनुलग्नक – 3

मध्यप्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र एवं उद्यानिकी फसलें

स.क्र.	कृषि जलवायु क्षेत्र का नाम	औसत वर्षा	मृदा का प्रकार	जिलों का नाम	अनुशंसित उद्यानिकी फसलें
1	छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र	1200 से 1600	बलुई दोमट एवं हल्की काली	बालाघाट	आम, चीकू, अमरूद, नींबू वंशीय फल, केला, पपीता, अनानास, आंवला, कटहल, बैर
2	छत्तीसगढ़ का उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र	1200 से 1600	लाल एवं पीली, मध्यम काली	शहडोल, सीधी एवं मण्डला, डिण्डोरी	नासपाती, आड़ू, लीची, आम, कटहल,
3	केमूर का पठार एवं सतपुड़ की पहाडी	1100 से 1400	हल्की काली संग लाल मिट्टी	रीवा, सतना, पन्ना, सिवनी, उमरिया, कटनी	आम, अमरूद, नींबू वंशीय फल, बैर, आंवला,
4	मध्य नर्मदा घाटी	1200 से 1600	गहरी काली एवं बलुई दोमट	जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा	आम, नींबू वंशीय फल, बैर, अमरूद, आंवला, पपीता
5	विन्ध्य का पठार	1200 से 1400	मध्यम गहरी काली एवं कणाकार	भोपाल, सीहोर, रायसेन, गुना, विदिशा, सागर एवं दमोह	नींबू वंशीय फल, आंवला, अनानास, आम, बैर, चीकू, पपीता
6	गिर्द क्षेत्र	800 से 1000	एल्युबियल हल्की दुमट	भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी	नींबू वंशीय फल, अमरूद, बैर, आंवला, सीताफल
7	बुन्देलखण्ड का क्षेत्र	800 से 1400	मिश्रित लाल एवं काली	छतरपरु, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना,	नींबू वंशीय फल, आंवला, आम, चीकू, करोंदा
8	संतपुड़ का पठार	1000 से 1200	हल्की काली कणाकार	बैतूल एवं छिन्दवाड़ा	नींबू वंशीय फल, आम, अमरूद, बैर
9	मालवा का पठार	1000 से 1200	मध्यम काली, कणाकार	शिवपुरी, गुना, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, धार, इन्दौर एवं देवास	नींबू वंशीय फल, अंगूर, चीकू, बैर, अमरूद, अनानास
10	निमाड़ का मैदानी क्षेत्र	800 से 1000	मध्यम काली	खण्डवा, खरगोन, कुक्षी, मनावर, धार	आम, केला, अंगूर, पपीता, चीकू, नींबू वंशीय फल, अमरूद, अनानास,
11	झाबुआ की पहाड़ी	800 से 1000	मध्यम काली, कणाकार एवं हल्की, मध्यम	झाबुआ	नींबू वंशीय फल, बैर, अमरूद, आंवला, सीताफल, अनानास

अनुलग्नक – 4

आयोजना के विभिन्न घटकों के निर्धारण व आकलन के आधार पर सहयोग दल द्वारा की जाने वाली अनुशंसा के प्रपत्र का प्रारूप

प्रति,

सरपंच,
ग्राम पंचायत .....
जनपद पंचायत ....., जिला .....

विषयः ''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना के अंतर्गत हितग्राही/हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुक्रम में आयोजना के विभिन्न घटकों के निर्धारण व आकलन की अनुशंसा।

नंदन फलोद्यान उपयोजना के अंतर्गत हितग्राहियों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का परीक्षण हितग्राही/हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दल के सदस्यों के साथ दिनांक / / को क्षेत्र भ्रमण कर किया गया। इस परीक्षण के आधार पर निम्नानुसार उल्लेखित हितग्राही एवं हितग्राहियों के उपयोगकर्ता दल के सदस्यों हेतु नंदन फलोद्यान उपयोजना का कार्य लिये जाने के लिए आयोजना के विभिन्न घटकों के निर्धारण की निम्नानुसार अनुशंसा की जाती है :–

गतिविधि का स्वरूप – एकल गतिविधि/सामूहिक गतिविधि (जो उपयुक्त हो, उसे ✓ करें)

क्र.	भू–स्वामी हितग्राही/हितग्राहियों के नाम तथा पिता/पति का नाम	ग्राम	नंदन फलोद्यान हेतु निर्धारित भूमि का खसरा नंबर	नंदन फलोद्यान हेतु निर्धारित भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	फलोद्यान हेतु निर्धारित भूमि का वर्तमान भूमि उपयोग (कृषि/अन्य/पड़त)	क्या यह निर्धारित भूमि फलोद्यान वृक्षारोपण के लिए उपलब्ध हो सकेगी (हा/नहीं)	निर्धारित वृक्षारोपण पद्धति	ली जाने वाली प्रजातियां	ली जाने वाली प्रजातियों की पौधावार संख्या	ली जाने वाली अंतरवर्तीय फसलें	हितग्राही के पास उपलब्ध सिंचाई स्त्रोत व सुविधा	उपलब्ध सिंचाई स्त्रोत से क्या प्रस्तावित फलोद्यान की पर्याप्त सिंचाई हो सकेगी (हां/नहीं)

पटवारी का पूरा नाम तथा हस्ताक्षर
दिनांक

दल प्रमुख का पूरा नाम, पदनाम तथा हस्ताक्षर
दिनांक

अनुलग्नक – 5

ऑवला / इमली

पौध रोपण की इकाई लागत प्रति हेक्टर (156 पौधे)

पौधों से पौधों की दूरी – **8 मीटर**

कतार से कतार की दूरी – **8 मीटर**

क्र.	कार्य का विवरण	दर (रुपये में)	मात्रा / संख्या	लागत (रूपये में)		योग (रूपये में)	विशेष
				मजदूरी	सामग्री		
A	**रोपण वर्ष (प्रथम वर्ष)**						
1	भूमि विकास	500 प्रति एकड़	2.5 एकड़	1250	0	1250	
	झाड़ी सफाई, खेत का रेखांकन करना					0	
2	फेसिंग					0	
	लोकल (स्थानीय कंटीली झाड़ियों से)	50 प्रति पौधा	156 पौधे	7800	0	7800	
	सी. पी. टी. की खुदाई से	34 प्रति रनिंग मीटर	400 रनिंग मीटर	13600	0	13600	
3	गड्डा खुदाई .75X.75X.75 मीटर	24 प्रति गढ्ढा	156 गढ्ढे	3744	0	3744	
4	खाद एवं उर्वरक					0	
I	गोबर खाद – 30 किलो प्रति पौधा	0.50 प्रति किलो	4680 किलो	0	**2340**	**2340**	हितग्राही द्वारा
II	सुपर फास्फेट – 500 ग्राम ––"––	3.40 प्रति किलो	78 किलो	0	265	265	
III	म्यूरेट ऑफ पोटाश – 250 ग्राम ––"––	5.00 प्रति किलो	39 किलो	0	195	195	
IV	यूरिया – 1/2 किलोग्राम ––"––	5.00 प्रति किलो	78 किलो	0	390	390	
V	थीमेट /फोरेट दवा – 50 ग्राम ––"––	100 प्रति किलो	7.8 किलो	0	780	780	
	योग :–			**0**	**1630**	**1630**	
5	पौधों की कीमत	25 प्रति पौधा	170 पौधे	0	4250	4250	10% गेप फिलिंग
6	खाद, उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना,	10.00 प्रति पौधा	156 पौधे	1560	0	1560	
	गढ्ढा भराई तथा पौध रोपण करना				0	0	
7	पौध संरक्षण दवाएं	10.00 प्रति पौध	156 पौधे	0	1560	1560	
8	सिंचाई व्यवस्था					0	
	सिंचाई हेतु मजदूरी	300 प्रति माह	8 माह हेतु	2,400	0	2400	
	योग :–			**2,400**	**0**	**2,400**	
9	**निंदाई गुड़ाई , दवा का स्प्रे करना**	**5.00 प्रति पौधा**	**4 बार**	**3120**	**0**	**3120**	जून,सितम्बर,
	थाला बनाना एवं गर्मी में पौधों में	5 X 4 =20/					दिसम्बर,फरवरी
	छाया करना						
10	**रोपण हेतु आवश्यक उपकरण**						
I	स्पेयर पम्प	1000 प्रति पम्प	1 नग	.	1000	1000	
II	गैती	100 प्रति नग	1 नग		100	100	
III	फावड़ा	100 प्रति नग	1 नग		100	100	
IV	तगाड़ी	80 प्रति नग	2 नग		160	160	
V	बाल्टी	120 प्रति नग	1 नग		120	120	
VI	सिकेटियर	200 प्रति नग	1 नग		200	200	
	योग :–	–	–		**1680**	**1680**	
11	अन्य व्यय	–	–	**500**	**250**	**750**	
	योग :– (प्रथम वर्ष)						
	कुल व्यय (लोकल फेसिंग के साथ)			**20,374**	**9,370**	**29,744**	
	कुल व्यय (C.P.T. फेसिंग के साथ)			**26,174**		**35,544**	
	मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात	लोकल फेंसिंग	–	68.50%	31.50%		
		C.P.T. फेंसिंग		73.60%	26.40%		

क्र.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा / संख्या	लागत (रूपये में)		योग (रूपये में)	विशेष
				मजदूरी	सामग्री		
B	**द्वितीय वर्ष रखरखाव पर व्यय**						
13	20 % गेप फीलिंग पौधों की कीमत	25 प्रति पौधे	30 पौधे	0	750	750	
14	निदाई, गुड़ाई एवं सिंचाई कार्य	63 प्रति दिन	200 मानव दिवस	12600	0	12600	
	योग :–			**12600**	**750**	**13350**	जून,सितम्बर,
	मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात	–	–	94.50%	5.50%		दिसम्बर,फरवरी
C	**तृतीय वर्ष रखरखाव पर व्यय**						
15	10 % गेप फीलिंग पौधों की कीमत	25 प्रति पौधे	15 पौधे	0	375	375	
16	खाद , उर्वरक एवं पौध संरक्षण दवाऍं	30 प्रति पौधा	156 पौधे	0	4680	4680	
17	निदाई, गुड़ाई एवं सिंचाई कार्य	63 प्रति दिन	200 मानव दिवस	12600	0	12600	जून,सितम्बर,
							दिसम्बर,फरवरी
	योग :–			**12600**	**5055**	**17655**	
	मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात	–	–	71.36%	28.64%		
D	**चतुर्थ वर्ष रखरखाव पर व्यय**						
18	निदाई, गुड़ाई एवं सिंचाई कार्य	63 प्रति दिन	200 मानव दिवस	12600	0	12600	
	योग :–			**12600**	**0**	**12600**	जून,सितम्बर,
	मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात	–	–	100%			दिसम्बर,फरवरी
E	**पंचम वर्ष रखरखाव पर व्यय**						
19	खाद , उर्वरक एवं पौध संरक्षण दवाऍं	40 प्रति पौधा	156 पौधे	0	6240	6240	
20	निदाई, गुड़ाई एवं सिंचाई कार्य	55 प्रति दिन	200 मानव दिवस	12600	0	12600	जून,सितम्बर,
							दिसम्बर,फरवरी
	योग :–			**12600**	**6240**	**18840**	
	मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात	लोकल फेसिंग	–	66.90%	33.10%		
	कुल व्यय (लोकल फेसिंग के साथ)			**70,774**	**21,415**	**92,189**	
	कुल व्यय (C.P.T. फेसिंग के साथ)			**76,574**		**97,989**	
	मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात	–	–	**76.77**	**23.23%**		
				78.15	**21.85**		

नोटः–सिंचाई के स्थाई स्त्रोत की व्यवस्था
अन्य योजना से की जावेगी।

उप संचालक
संचालनालय उद्यान एवं प्रक्षेत्र वानिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

नीबू / संतरा / मौसम्बी / अमरूद / बेर / सीताफल (280 पौधे)

पौधों से पौधों की दूरी – **6 मीटर**

कतार से कतार की दूरी – **6 मीटर.**

क्र.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा / संख्या	लागत (रूपये में)		योग (रूपये में)	विशेष
				मजदूरी	सामग्री		
A	**रोपण वर्ष (प्रथम वर्ष)**						
1	भूमि विकास	500 प्रति एकड़	2.5 एकड़	1250	0	1250	
	झाड़ी सफाई , खेत का रेखांकन करना					0	
2	फेंसिंग					0	
	लोकल (स्थानीय कटीली झाड़ियों से)	50 प्रति पौधा	280 पौधे	15500	0	15500	
	सी. पी. टी. की खुदाई से	34 प्रति रनिंग मीटर	400 रंनिग मीटर	13600	0	13600	
3	गड्डा खुदाई **.6 X.6 X.6** मीटर	20 प्रति गढ्ढा	280 गढ्डे	5600	0	5600	
4	खाद एवं उर्वरक					0	
I	गोबर खाद – 20 किलो प्रति पौधा	0.50 प्रति किलो	5600 किलो	0	**2800**	**2800**	हितग्राही द्वारा
II	सुपर फास्फेट – 500 ग्राम ––''––	3.40 प्रति किलो	140 किलो	0	476	476	
III	म्यूरेट आफ पोटाश – 250 ग्राम ––''––	5.00 प्रति किलो	70 किलो	0	350	350	
IV	यूरिया – 1/2 किलोग्राम ––''––	5.00 प्रति किलो	140 किलो	0	700	700	
V	थीमेट /फोरेट दवा – 50 ग्राम ––''––	100 प्रति किलो	14 किलो	0	1400	1400	
	योग :–				**2926**	**2926**	
5	पौधों की कीमत	310 पौधे	15 प्रति पौधे	0	4650	4650	10% गेप फिलिंग
6	खाद, उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना,	7.00 प्रति पौधा	280 पौधे	1960	0	1960	
	गड्डा भराई तथा पौध रोपण करना				0	0	
7	पौध सरंक्षण दवाऍं	10.00 प्रति पौध	280 पौधे	0	2800	2800	
8	सिंचाई व्यवस्था			0	0	0	
II	सिंचाई हेतु मजदूरी	300 प्रति माह	8 माह हेतु	2,400	0	2400	
	योग :–			**2,400**	**0**	**2,400**	
9	**निदाई गुड़ाई, दवा का स्प्रे करना**	**5.00 प्रति पौधा**	**4 बार**	**5600**	**0**	**5600**	जून, सितम्बर,
	थाला बनाना एवं गर्मी में पौधो में			0	0	0	दिसम्बर, फरवरी
	छाया करना			0	0	0	
10	**रोपण हेतु आवश्यक उपकरण**						
I	स्पेयर पम्प	1000 प्रति पम्प	1 नग	.	1000	1000	
II	गैती	100 प्रति नग	1 नग		100	100	
III	फावड़ा	100 प्रति नग	1 नग		100	100	
IV	तगाड़ी	80 प्रति नग	2 नग		160	160	
V	बाल्टी	120 प्रति नग	1 नग		120	120	
VI	सिकेटियर	200 प्रति नग	1 नग		200	200	
	योग :–	–	–		**1680**	**1680**	
11	अन्य व्यय	–	–	**500**	**250**	**750**	
	योग :– (प्रथम वर्ष)						
	कुल व्यय (लोकल फेसिंग के साथ)			**32,810**	**12,306**	**45,116**	
	कुल व्यय (C.P.T. फेसिंग के साथ)			**30,910**		**43,216**	
	मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात	लोकल फेंसिंग	–	72.72%	27.28%		
		C.P.T. फेंसिंग		71.52%	28.48%		

पिछला योग

	योग :– (प्रथम वर्ष)						
	कुल व्यय (लोकल फेंसिंग के साथ)			**32810**	**12306**	**45116**	
	कुल व्यय (C.P.T. फेसिंग के साथ)			**30910**		**43216**	
कं0	**कार्य का विवरण**	**दर (रूपये में)**	**मात्रा / संख्या**	**लागत (रूपये में)**		**योग**	**विशेष**
				मजदूरी	**सामग्री**	**(रूपये में)**	
B	**द्वितीय वर्ष रखरखाव पर व्यय**						
13	20 % गेप फीलिंग पौधों की कीमत	25 प्रति पौधे	56 पौधे	0	1400	1400	
14	निदाई, गुड़ाई एवं सिंचाई कार्य	63 प्रति दिन	200 मानव दिवस	12600	0	12600	
	योग :–			**12600**	**1400**	**14000**	जून,सितम्बर,
							दिसम्बर,फरवरी
	मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात	लोकल फेसिंग	–	90.00%	10.00%		
C	**तृतीय वर्ष रखरखाव पर व्यय**						
15	10 % गेप फीलिंग पौधों की कीमत	25 प्रति पौधे	28 पौधे	0	700	700	
16	खाद, उर्वरक एवं पौध संरक्षण दवाएं	30 प्रति पौधा	280 पौधे	0	8400	8400	
17	निदाई, गुड़ाई एवं सिंचाई कार्य	63 प्रति दिन	200 मानव दिवस	12600	0	12600	जून,सितम्बर,
							दिसम्बर,फरवरी
	योग :–			**12600**	**9100**	**21700**	
	मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात	लोकल फेसिंग	–	58.06%	41.94%		
D	**चतुर्थ वर्ष रखरखाव पर व्यय**						
18	निदाई, गुड़ाई एवं सिंचाई कार्य	63 प्रति दिन	200 मानव दिवस	12600	0	12600	
	योग :–			**12600**	**0**	**12600**	जून,सितम्बर,
	मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात	लोकल फेसिंग	–	100%	0		दिसम्बर,फरवरी
E	**पंचम वर्ष रखरखाव पर व्यय**						
19	खाद, उर्वरक एवं पौध संरक्षण दवाऍं	30 प्रति पौधा	280 पौधे	0	8400	8400	
20	निदाई, गुड़ाई एवं सिंचाई कार्य	63 प्रति दिन	200 मानव दिवस	12600	0	12600	जून,सितम्बर,
							दिसम्बर,फरवरी
	योग :–			**12600**	**8400**	**21000**	
	मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात	लोकल फेसिंग	–	60.00%	40.00%		
	कुल व्यय (लोकल फेसिंग के साथ)			**83,210**	**31,206**	**114,416**	
	कुल व्यय (C.P.T. फेसिंग के साथ)			**81,310**		**112,516**	
	मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात	लोकल फेसिंग	–	72.73%	27.27%		
		C.P.T. फेसिंग		72.26%	27.74%		

नोटः– सिंचाई के स्थाई स्त्रोत की व्यवस्था अन्य योजना से की जावेगी।

उप संचालक उद्यान
संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र
वाविनकी
मध्यप्रदेश भोपाल

आम, चीकू / कटहल

पौध रोपण की इकाई लागत प्रति हेक्टर (100 पौधे)

पौधों से पौधों की दूरी – **10 मीटर**

कतार से कतार की दूरी – **10 मीटर.**

क्र.	कार्य का विवरण	दर (रूपये में)	मात्रा / संख्या	लागत (रूपये में)		योग (रूपये में)	विशेष
				मजदूरी	सामग्री		
A	**रोपण वर्ष (प्रथम वर्ष)**						
1	भूमि विकास	500 प्रति एकड़	2.5 एकड़	1250	0	1250	
	झाड़ी सफाई, खेत का रेखांकन करना					0	
2	फेंसिंग					0	
	लोकल (स्थानीय कटीली झाड़ियों से)	50 प्रति पौधा	100 पौधे	5000	0	5000	
	सी. पी. टी. की खुदाई से	34 प्रति रनिंग मीटर	400 रंनिग मीटर	13600	0	13600	
3	गड्डा खुदाई 1X 1X1 मीटर	30 प्रति गढ्ढा	100 गढ्डे	3000	0	3000	
4	खाद एवं उर्वरक					0	
I	गोबर खाद – 30 किलो प्रति पौधा	0.50 प्रति किलो	4000 किलो	0	**2000**	**2000**	हितग्राही द्वारा
II	सुपर फॉस्फेट – 500 ग्राम ––''––	3.40 प्रति किलो	50 किलो	0	170	170	
III	म्यूरेट आफ पोटाश – 250 ग्राम ––''––	5.00 प्रति किलो	50 किलो	0	250	250	
IV	यूरिया – 1/2 किलोग्राम ––''––	5.00 प्रति किलो	100 किलो	0	500	500	
V	थीमेट /फोरेट दवा – 50 ग्राम ––''––	100 प्रति किलो	5 किलो	0	500	500	
	योग :–				**1420**	**1420**	
5	पौधों की कीमत	25 प्रति पौधा	110 पौधे	0	2750	2750	10% गेप फिलिंग
6	खाद, उर्वरक एवं मिट्टी का मिश्रण बनाना,	10.00 प्रति पौधा	100 पौधे	1000	0	1000	
	गड्डा भराई तथा पौध रोपण करना				0	0	
7	पौध सरंक्षण दवाएँ	10.00 प्रति पौध	100 पौधे	0	1000	1000	
8	सिंचाई व्यवस्था					0	
II	सिंचाई हेतु मजदूरी	300 प्रति माह	8 माह हेतु	2,400	0	2400	
	योग :–			**2,400**	**0**	**2,400**	
9	**निदाई गुड़ाई , दवा का स्प्रे करना**	**5.00 प्रति पौधा**	**4 बार**	**2000**	**0**	**2000**	जून, सितम्बर,
	थाला बनाना एवं गर्मी में पौधो में					**0**	दिसम्बर, फरवरी
	छाया करना					**0**	
11	**रोपण हेतु आवश्यक उपकरण**						
I	स्पेयर पम्प	1000 प्रति पम्प	1 नग	.	1000	1000	
II	गैती	100 प्रति नग	1 नग		100	100	
III	फावड़ा	100 प्रति नग	1 नग		100	100	
IV	तगाड़ी	80 प्रति नग	2 नग		160	160	
V	बाल्टी	120 प्रति नग	1 नग		120	120	
VI	सिकेटियर	200 प्रति नग	1 नग		200	200	
	योग :–	–	–		**1680**	**1680**	
12	अन्य व्यय	–	–	**500**	**250**	**750**	
	योग :– (प्रथम वर्ष)						
	कुल व्यय (लोकल फेसिंग के साथ)			**15,150**	**7,100**	**22,250**	
	कुल व्यय (C.P.T. फेसिंग के साथ)			**23,750**		**30,850**	
	मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात	लोकल फेसिंग	–	68.09%	31.91%		
		C.P.T. फेसिंग		76.98%	23.02%		

पिछला योग

	योग :– (प्रथम वर्ष)						
	कुल व्यय (लोकल फेसिंग के साथ)			**15150**	**7100**	**22250**	
	कुल व्यय (C.P.T. फेसिंग के साथ)			**23750**		**30850**	
क्र.	**कार्य का विवरण**	**दर (रूपये में)**	**मात्रा / संख्या**	**लागत (रूपये में)**		**योग**	**विशेष**
				मजदूरी	**सामग्री**	**(रूपये में)**	
B	**द्वितीय वर्ष रखरखाव पर व्यय**						
13	20 % गेप फीलिंग पौधों की कीमत	25 प्रति पौधे	30 पौधे	0	500	500	
14	निदाई, गुड़ाई, एवं सिंचाई कार्य	63 प्रति दिन	200 मानव दिवस	12600	0	12600	जून, सितम्बर,
	योग :–			**12600**	**500**	**13100**	दिसम्बर, फरवरी
	मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात	–	–	96.20%	3.08%		
C	**तृतीय वर्ष रखरखाव पर व्यय**						
15	20 % गेप फीलिंग पौधों की कीमत	25 प्रति पौधे	10 पौधे	0	250	250	
16	20 % गेप फीलिंग पौधों की कीमत	30 प्रति पौधा	100 पौधे	0	3000	3000	
17	निदाई, गुड़ाई एवं सिंचाई कार्य	63 प्रति दिन	200 मानव दिवस	12600	0	12600	जून, सितम्बर,
	योग :–			**12600**	**3250**	**15850**	दिसम्बर, फरवरी
	मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात	–	–	79.50%	20.50%		
D	**चतुर्थ वर्ष रखरखाव पर व्यय**						
18	निदाई, गुड़ाई एवं सिंचाई कार्य	63 प्रति दिन	200 मानव दिवस	12600	0	12600	जून, सितम्बर,
	योग :–			**12600**	**0**	**12600**	दिसम्बर, फरवरी
	मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात	–	–	100%	0		
E	**पंचम वर्ष रखरखाव पर व्यय**						
19	खाद , उर्वरक एवं पौध संरक्षण दवाऍं	40 प्रति पौधा	100 पौधें	0	4000	4000	
20	निदाई, गुड़ाई खाद, उर्वरक का	63 प्रति दिन	200 मानव दिवस	12600	0	12600	
	उपयोग एवं सिंचाई कार्य						
	योग :–			**12600**	**4000**	**16600**	
	मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात	–	–	76.00%	24.00%		
	कुल व्यय (लोकल फेसिंग के साथ)			**65,550**	**14,850**	**80,400**	
	कुल व्यय (C.P.T. फेसिंग के साथ)			**74,150**		**89,000**	
	मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात	लोकल फेसिंग	–	81.52%	18.48%		
		C.P.T. फेसिंग		83.31%	16.69%		

नोट:– सिंचाई के स्थाई स्त्रोत की व्यवस्था

अन्य योजना से की जावेगी।

उप संचालक उद्यान
संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र
वाविनकी

मध्यप्रदेश भोपाल

अनुलग्नक – 6

''नंदन फलोद्यान'' उपयोजना की रिपोर्टिंग माह के अंत तक Cummulative Progress हेतु प्रपत्र

जिला : ..... **रिपोर्टिंग माह : ..... के अंत तक की एकजाई प्रगति**

क्र.	विकासखण्ड का नाम	चयनित हितग्राहियों की संख्या	हितग्राहियों की संख्या, जिनकी प्रोजेक्ट रिर्पोट स्वीकृत की गई	स्वीकृत प्रोजेकट रिपोर्ट के अनुसार फलोद्यान विकास की स्वीकृति का विवरण						फलाद्यान विकास की प्रगति का विवरण				
				कुल स्वीकृत क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	स्वीकृत प्रजातियों के नाम	स्वीकृत प्रजातियों के रोपित किये जाने वाले कुल पौधों की संख्या	कुल स्वीकृत लागत (रू. लाख में)	कॉलम 4 में दर्शाये गये कितने हितग्राहियों के पास स्वयं की सिंचाई सुविधा है	कॉलम 4 में दर्शाये गये कितने हितग्राहियों को कपिल धारा उपयोजना के तहत सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी	कुल क्षेत्रफल जिसमें रोपण किया गया (हेक्टेयर)	लगाई गई प्रजातियों के नाम	लगाई गई प्रजातियों के रोपित कुल पौधों की संख्या	कुल व्यय राशि (रू. लाख में)	कॉलम 10 में दर्शाये गये कितने हितग्राहियों को कपिल धारा उपयोजना के तहत सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
योग														

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत
जिला :.....
..